कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, द्वितीय तल, पुरानी विधानसभा के सामने, भोपाल – 462 003)

क्रमांक 29 /सम्पदा–13/2015 भोपाल, दिनांक 7 जनवरी, 2015

प्रति

1. कलेक्टर,
   अनूपपुर, बालाघाट, टीकमगढ़,
   सीहोर एवं उज्जैन।

2. पुलिस अधीक्षक,
   अनूपपुर, बालाघाट, टीकमगढ़,
   सीहोर एवं उज्जैन।

विषय – ई–रजिस्ट्रेशन की कानूनी वैधता।

जैसा कि आप अवगत हैं कि आपके जिला मुख्यालय पर स्थित उप पंजीयक कार्यालय में दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 से दस्तावेजों का ई–पंजीयन एवं ई–स्टाम्पिंग विभागीय सम्पदा एप्लीकेशन के माध्यम से की जा रही है। राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफबी–4–28–2014–2–पांच (29) एवं अधिसूचना क्रमांक एफबी–4–28–2014–2–पांच (30), दिनांक 8 दिसम्बर, 2014 द्वारा इलेक्ट्रानिक स्टाम्पिंग प्रणाली से ई–स्टाम्पिंग एवं इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्रीकरण प्रणाली से ई–पंजीयन को कानूनी वैधता प्रदाय की गयी है।

विभागीय सम्पदा एप्लीकेशन के माध्यम से ई–स्टाम्पयुक्त ई–पंजीकृत दस्तावेजों को वही मान्यता प्राप्त है जो पूर्व में छापित स्टाम्प (impressed stamp) को अथवा फ्रेंकिंग किये गए (franked) स्टाम्प को प्राप्त थी। उक्त परिप्रेक्ष्य में जिले की विभिन्न संस्थाओं तथा कार्यालयों को ई–पंजीकृत दस्तावेजों की कानूनी वैधता के संबंध में कृपया अवगत कराने का कष्ट करें एवं यह भी सुनिश्चित करें कि ई–पंजीकृत दस्तावेज उनके द्वारा विभिन्न कार्यवाही हेतु नियमानुसार मान्य किए जाएं।

Deepali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।

पृष्ठांकन क्रमांक 30 /सम्पदा–13/2015 भोपाल, दिनांक 7 जनवरी, 2015

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल की ओर को सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल की ओर को सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि, विंध्याचल भवन, भोपाल की ओर को सूचनार्थ।
4. सम्भागायुक्त – उज्जैन/ भोपाल/ सागर/ शहडोल/ जबलपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन
मध्यप्रदेश।

MSN 140 C:\DIG\Letter.docx